

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश/ 1338 /2025

दिनांक : 04.04.2025

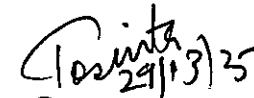
श्रीमती सुमित्रा कुमारी (RJ01392), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:—

1. दिनांक 15.10.2024 से 16.10.2024 तक 02 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 11.10.2024 से 14.10.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।
2. दिनांक 17.10.2024 से 22.11.2024 तक 37 दिनों का गर्भपात अवकाश (Miscarriage Leave) दिनांक 23.11.2024 से 24.11.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।
3. दिनांक 11.02.2025 से 15.02.2025 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 16.02.2025 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।

श्रीमती कुमारी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

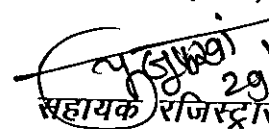

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/145/2020/

दिनांक : 04.04.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 2390/2392 दिनांक 18.02.2025/18.02.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती सुमित्रा कुमारी (RJ01392), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा (टोंक)।


सहायक रजिस्ट्रार 29/03/25